न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—442 / 2013 / 225(2013 / 00005)

1. रेगरान पंचायत समिति, पुष्कर जिला अजमेर जरिये अध्यक्ष चांदमल उदय नि0 रेगर मौहल्ला, पुष्कर, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. पन्नालाल पुत्र अमरचंद पौत्र किस्तूर बाकोलिया, जाति रेगर,
2. उगमचंद पुत्र अमरचंद पौत्र किस्तूर बाकोलिया, जाति रेगर,
3. रतनलाल पुत्र अमरचंद पौत्र किस्तूर बाकोलिया, जाति रेगर,
4. मदन पुत्र स्व0 लालू, पौत्र हीरा बाकोलिया, जाति रेगर,
5. दयाशंकर पुत्र स्व0 बद्रीप्रसाद बाकोलिया, जाति रेगर,
6. सुनील पुत्र स्व0 बद्रीप्रसाद बाकोलिया, जाति रेगर,
7. ओमप्रकाश पुत्र पूनमचंद, जाति रेगर,
   समस्त निवासी रेगर मोहल्ला, बड़ी बस्ती पुष्कर, जिला अजमेर ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्या0), अजमेर , दिनांक 4.10.2013 अंतर्गत प्रकरण संख्या 194 / 2012.

उपस्थितः—

1. श्री सी0पी0शर्मा, वकील अपीलांट ।
2. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 7.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 8.

निर्णय

दिनांकः—29.03.2019

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 4.10. 2013 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी / अपीलांट ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश किया । उक्त वाद में प्रार्थीगण / रेस्पो0 संख्या 1 से 7 ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश कर अप्रार्थी / अपीलांट को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया जिसे अधी0न्याया0 ने 194 / 2012 दर्ज कर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी / अपीलांट को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने के आदेश दिनांक 4.10.2013 को पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि मूल खातेदारान ने वादग्रस्त भूमि कब्जा

सन् 1968 में ही प्रार्थी/अपीलांट को सौंपकर उनके पक्ष में तहरीर निष्पादित की जो रिकार्ड पर है तब से वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कब्जा चला आ रहा है एवं उपयोग में चली आ रही है । इस तथ्य को नजरअदांज कर अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र निरस्त करने में त्रुटि कारित की है । बहस में आगे कथन किया कि अपीलाधीन आदेश में सौभागमल पुत्र दुर्गा की और से प्रस्तुत रसीद बाबत् सफाई शुलक राशि 1500/—रू0 दिनांक 23.11.2007 को आधार बनाकर त्रुटिपूर्ण रूप से आदेश पारित किया है तथा समिति का गठन 1968 के पूर्व होना व पंजीयन 3.11.1989 में होने के कथन को तोड मरोड़कर जिस प्रकार से अंकित किया है वह स्वीकार योग्य नहीं है । रेस्पो0 ने तहरीर को कूटरचित होने का कथन किया है लेकिन कूटरचित के संबंध में किसी भी न्यायालय में आज तक कार्यवाही नहीं की है । सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति के बिन्दु रेस्पो0 के पक्ष में नहीं होने के बावजदू अधी0न्याया0 ने रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किया जावे ।

5. जवाब में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंटस ने कथन किया कि वादग्रस्त भूमि जवाब में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंटस ने कथन किया कि वादग्रस्त भूम अप्रार्थीगण की पुश्तैनी भूमि है जिससे प्रार्थी का कोई संबंध नहीं है। प्रार्थी संस्था को विवादित भूमि ठेके पर देने का कोई अधिकार नहीं था । विवादित भूमि पर अप्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा एक कोटडी का निर्माण भी करवाया गया था तथा भूमि के चारों तरफ दीवार बना रखी है । बहस में आगे कथन किया कि विवादित भूमि के संबंध में अप्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा दीवानी वाद प्रस्तुत किया गया था जिसमें अप्रार्थीगण के पूर्वजों अथवा अप्रार्थीगण द्वारा कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया एवं न ही पक्षकार थे । वर्तमान जमाबंदी में अपीलाधीन भूमि रेस्पो0 की खातेदारी मे दर्ज है तथा मौके पर रेस्पो0 का ही कब्जा है । रेस्पो0 द्वारा पंजीबद्ध दस्तावेज से अपीलांट को हस्तातंरित की हो ऐसी कोई साक्ष्य अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नहीं की है । विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि खातेदार के कब्जे काश्त में अन्य के द्वारा हस्तक्षेप किये जाने पर खातेदार अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है । प्रथमदृष्टया केस, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दु रेस्पो0 के पक्ष में पाये जाने से अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांट को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया है । अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आराजी खसरा नंबर 21 रकबा 1—7—10 बारानी—2 वर्किंग जमाबंदी संवत् 2041 में रेस्पोडेंटस के नाम खातेदारी मे दर्ज है । इस तथ्य को अपीलांट द्वारा इंकार नहीं किया गया है । अपीलांट के नाम राजस्व अभिलेख में अपीलाधीन भूमि कभी भी दर्ज नहीं रही है । रेस्पो0 मौके पर चारदीवारी निर्मित्त कर तथा एक कमरे का निर्माण कर काबिज है । अपीलांट अपीलाधीन भूमि पर काबिज काश्त हो ऐसी कोई साक्ष्य अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है । विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के कब्जे काश्त में अन्य व्यक्ति के द्वारा दखलदांजी किये जाने पर निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकता है । अधी0न्याया0 ने इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर तथा प्रथमदृष्टया केस, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दु रेस्पो0 के पक्ष में पाये जाने से रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 स्वीकार किया है जो विधिसम्मत् है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत् पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा विद्वान अधी0न्याया0 का प्रकरण संख्या 194/2012 में पारित आदेश दिनांक 4.10.2013 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 29.3.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर